

मालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

17/11/18 पत्रावली प्रस्तुत/पीआसन अधिकारी को पेश किया गया है।
 दिनांक 19/12/18 को पेश हो।

10/6/18 पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसिएशन द्वारा कार्य
 स्थगित किया गया है अतः पत्रावली पूर्वदिनांकानुसार
 दिनांक 19/12/18 को पेश हो।

19/11/19 पत्रावली क्रमांक 587 पत्रावली
 का उपलक्षण करने पर, वहीच सापस
 डा. दिनांक 28-5-14 से निरन्तर लक्षणा
 सेवा करने को इला जा रहा है किन्तु
 बाजबब सेवा नहीं दिखा रहा है। जितने
 विहीन हो रहा है कि सापस न्यवेड्डरण
 डा. आगे नहीं चलाने में रुचि नहीं है।

सापस सापस डा. आगे नान्यक
 धारा 212 R.N.A डा. मोडिया 9 नियम
 5 C.P.C (लक्षणा) के अन्तर्गत
 खारिज दिखा जा रहा है। तथा इस न्यायालय
 में जारी न. 23-11-12 अध्यात्म की
 जारी है। पत्रावली के अन्तर्गत लक्षणा
 गारड गम्बर हो

उप जिला अधिकारी
 हिण्डौन